



2026:AHC:61287

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9899 वर्ष 2026

प्रबंधन मानक शैक्षिक सोसायटी मौड़मा और 2 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक रजिस्ट्रार, फर्म सोसायटी एंड चिट्स, प्रयागराज और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आदर्श सिंह, महेंद्र कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: प्रदीप कुमार उपाध्याय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 34

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

1. श्री अभिषेक सिंह की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इंद्र राज सिंह ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आदर्श-आदर्श सिंह और प्रतिपक्षी संख्या-3 के अधिवक्ता श्री पी.के. उपाध्याय और राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. सहायक रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज एंड चिट्स, प्रयागराज द्वारा पारित 31.5.2025 और 4.7.2025 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए प्रस्तुत याचिका दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता संख्या-1 स्टैंडर्ड एजुकेशनल सोसाइटी, मऊ आइमा, प्रयागराज की प्रबंधन समिति है। निर्विवाद रूप से, उक्त सोसायटी का चुनाव 17.7.2022 को पांच साल की अवधि के लिए आयोजित किया गया था। जिसमें याचिकाकर्ता संख्या-2 को प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और याचिकाकर्ता संख्या-3 को उप प्रबंधक के रूप में चुना गया था। श्री मोहम्मद यूनुस को प्रबंधक के रूप में चुना गया था, जिनकी मृत्यु 20.2.2025 को हुई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, श्री मोहम्मद यूनुस की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को देखते हुए, प्रबंधन समिति की बैठक 4.5.2025 को आयोजित की गई थी और उप प्रबंधक श्री अयाज अहमद को प्रबंधन समिति के प्रबंधक के रूप में चुना गया था और श्री मोहम्मद मुस्तकीम, जो समिति के सदस्य थे, को उप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और श्री असरफ अली को सामान्य सदस्य के रूप में नामांकित/चुना गया था और शेष अवधि के लिए इस तरह के नामांकन/चुनाव की सूचना रजिस्ट्रार को दी गई थी, जिन्होंने इसे दिनांक 16.5.2025 के आदेश के माध्यम से पंजीकृत किया है। बाद में, प्रतिपक्षी संख्या-3 ने रजिस्ट्रार के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें श्री अयाज अहमद को प्रबंधक के पद पर और मुस्तकीन को उप प्रबंधक के पद पर और प्रबंधन समिति में एक नए सदस्य को शामिल करने को चुनौती दी गई है। उपरोक्त शिकायत के आधार पर, प्रतिपक्षी संख्या-3- रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना दिनांक 16.5.2025 के अपने आदेश की समीक्षा की है, जो प्रबंधन समिति के निर्वाचित पदाधिकारी हैं और प्रतिपक्षी संख्या-3 की कथित समिति को मान्यता दी है।

4. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रजिस्ट्रार के पास सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अलावा अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके अलावा, चूंकि रजिस्ट्रार द्वारा कभी भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए रजिस्ट्रार द्वारा पारित 31.5.2025 का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है। इसके बाद दिनांक 4.7.2025 के आदेश के माध्यम से, प्रतिपक्षी संख्या-3 ने उस समिति को मंजूरी दे दी है जिसमें जुबैर अहमद, जो प्रबंधन समिति के सदस्य थे, को कथित तौर पर प्रबंधक के रूप में चुना गया है। दोनों आदेश बिना किसी सूचना या सुनवाई के किसी भी अवसर के पारित किए गए हैं, जो यहां याचिकाकर्ताओं को दिए गए हैं, जो प्रबंधन समिति के पहले से ही निर्वाचित सदस्य थे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपरोक्त आक्षेपित आदेशों को रद्द करने की मांग करते हैं।

5. तत्सम विपरीत, प्रतिपक्षी संख्या-3 के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.के. सिंह ने प्रस्तुत किया कि 4.5.2025 को हुए चुनाव में, जो व्यक्ति प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं थे, उन्हें कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार पूरी कार्यवाही को दूषित किया गया था। इसलिए, प्रतिपक्षी संख्या-3-जुबैर अहमद द्वारा दायर शिकायत पर रजिस्ट्रार ने 31.5.2025 के आदेश और बाद में प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित नए चुनाव को ठीक से याद किया है, इसे दिनांक 4.7.2025 के आदेश के माध्यम से



पंजीकृत किया गया है। इसलिए, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रजिस्ट्रार द्वारा अपनाई गई कार्यवाही में कोई अवैधता नहीं है। इसलिए वह प्रस्तुत याचिका को खारिज करने की मांग करते हैं।

6. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने मामले के अभिलेखों को ध्यान से देखा है। यह निर्विवाद है कि प्रबंधन समिति का चुनाव 17.7.2022 को किया गया था, जिसमें नुरुल इस्लाम को अध्यक्ष चुना गया था, हयात अहमद को उप प्रबंधक के रूप में चुना गया था और मो. यूनस को प्रबंधक के रूप में चुना गया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी और बाद में प्रबंधन समिति ने प्रस्ताव पारित किया है, जिससे अयाज अहमद को प्रबंधन समिति के प्रबंधक के रूप में चुना गया था। कार्यवाही को रजिस्ट्रार को विधिवत सूचित किया गया था, जिसे उनके द्वारा दिनांक 16.5.2025 के आदेश द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। इसके बाद एक जुबैर अहमद-प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा की गई शिकायत पर, उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है और इसके आगे 4.7.2025 को रजिस्ट्रार ने प्रबंधन की नई समिति को पंजीकृत किया है। दिनांक 31.5.2025 का आदेश पारित करते समय, अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को कभी भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो समिति के सदस्य और पदाधिकारी थे।

7. इसके मद्देनजर, दिनांक 31.5.2025 के आक्षेपित आदेश और परिणामी आदेश दिनांक 4.7.2025 को एतद्वारा रद्द कर दिया जाता है और मामले को प्रतिपक्षी संख्या-3-सहायक रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज एंड चिट्स, प्रयागराज को वापस भेज दिया जाता है ताकि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर सभी संबंधितों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित किया जा सके।

8. उपरोक्त निर्देशों के साथ, प्रस्तुत याचिका का निस्तारण किया जाता है।

मार्च 24, 2026

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)